भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1643
10.03.2025 को उत्तर के लिए

मोर का अवैध शिकार और हत्या

1643. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की सूची तैयार की है जहां पिछले दशक में मोरों के शिकार और हत्या की घटनाएं सबसे अधिक हुई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार मोरों के अवैध शिकार और हत्या की घटनाओं को दर्ज करने के लिए अध्ययन करने की योजना बना रही है;
(घ) क्या सरकार ने मोरों के अवैध शिकार और उनकी हत्या के तरीकों का अनुसंधान करने तथा ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए शासन या विधायी उपायों की सिफारिश करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा अनुसंधान करने का विचार रखती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) भारतीय मोर (पेवो क्रिस्टेटस) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत उसके शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। वन्यजीवों का प्रबंधन और उनकी सुरक्षा मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है। इस प्रजाति के शिकार से संबंधित रिपोर्टें मंत्रालय के स्तर पर समेकित नहीं की जाती हैं।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन संबंधी अपराध की जांच करने के प्रयोजन से कम से कम सहायक वन संरक्षक स्तर के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा, यह अधिनियम मुख्य वन्यजीव वार्डनों या प्राधिकृत अधिकारियों को भी अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु अधिकार प्रदान करता है।

*****